

जन हितैषी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करे, सरकार

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला 6:1 से समने आया है। छह जजों की खंडपीठ ने कहा है, आरक्षण कोटे में से पिछड़ेपन के आधार पर जातियों के आधार पर कोटा तय किए जाने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग में अभी 8 लाख वार्षिक की आय सीमा लागू है। एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, जातियों के अंदर उपजातियां की कैटिगरी बनाने में संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का कोई उलझन नहीं होता है। जिन परिवारों और जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हक नहीं मिलना चाहिए। सभी वर्ग के आरक्षण में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों को आय की सीमा को आधार बनाकर आरक्षण लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों राजनीतिक लाभ और मर्जी से सब कैटिगरी नहीं बना सकती हैं। यदि ऐसा करती हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा समय-समय पर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिए गए अपने फैसले को बदल दिया है। जिसमें कहा गया था, राज्य सरकार आरक्षण कोटे में सब कैटिगरी नहीं बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश से अब राज्य सरकारें एससी, एसटी कोटे में पिछड़े वर्ग के आधार पर सब कैटिगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की देशभर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। बिहार की लोजपा ने इसका विरोध करते हुए पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों और पिछड़ी उपजातियों का सर्वेक्षण कराकर आरक्षण व्यवस्था का युक्तिकरण किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्यों को अब यह अधिकार मिल गया है। वह आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण लागू कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब राज्यों के ऊपर है। वह जल्द से जल्द आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अभी तक आरक्षण के लाभ से जो लोग वंचित हैं। उन्हें आरक्षण दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्यों को 50 प्रीसदी से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रखी थी। सात सदस्यों की बैंच ने जो आदेश दिया है। उसके बाद नई आरक्षण व्यवस्था में सभी वंचित वर्ग को इसका लाभ सभी वर्ग को हासिल हो। इसके लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी और इंडिया गांधी अंदरूनी के दल केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। 2021 की जनगणना पिछले 4 वर्षों से लंबित है। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार जनगणना करते समय इहीं तीन विषयों पर जनगणना करायेगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग की भी जानकारी सामने आ जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकारें इन आंकड़ों के आधार पर योजना बना सकती। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के लिए विपक्ष की मांग पर अभी सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार पर अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। एक आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है, केंद्र सरकार जाति जनगणना करने के बिन्कुल पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यों को अधिकार होगा, कि वह सर्वे के माध्यम से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर डाटा एकत्रित करें। आरक्षण को आनुवंशिक रूप से, जैसे कि आगे चलकर अपनाएं जाने लगे थे। एक ही परिवार के लोगों द्वारा इच्छानुसार अलग-अलग पेशा या व्यवसाय अपनाएं जाने के उदाहरण मिलते हैं। जैसा कि ऋषवेद के सूक्त 9. 112 में एक व्यक्ति कहता है : “मैं कवि/गायक हूँ; पेरे पिता वैद्य हैं; मेरी माता चक्की चलाने वाली है; भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीविकार्पार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं; जैसे पशु (अपने बाड़े में) रहते हैं।” इस युग में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। बालविवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह के लिए वरण की स्वरूप में आ गई। इसी काल में गोत्र की अवधारणा भी उजागर हुई। एक ही गूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। मौलिक रूप से गोत्रों की संख्या 7 बताई गई : कश्यप, वशिष्ठ, भूगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, एवं विश्वामित्र। अगस्त को आठवां गोत्र माना जाता है। इस युग की दूसरी विशेषता थी “आश्रम व्यवस्था”。 आश्रम व्यवस्था के चार चरण बताए गए हैं : घटला, ब्रह्मर्थ - जन्म से 25 वर्ष तक। यह विद्या- अर्जन एवं बैद्धिक विकास से संबंधित था। दूसरा, गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। इस दौरान व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण पारिवारिक- सामाजिक उत्तरदायित्व का वाहन किया जाता था। तीसरा, वानप्रस्थाश्रम - 50 से 75 वर्ष तक था। यह पारलैकिक जीवन से संबंधित था एवं अंतिम चरण सन्यास था जो 75 वर्ष के उपरांत का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य सांसार का त्याग कर एक सन्यासी जीवन व्यतीत करता था। इस युग में लोगों द्वारा व्यवसाय के जन्म को भी होतोत्साहित करते थे। लोगों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति से वंचित किया जाने लगा तथा। ऋषवेदिक काल में धातु के तोर पर केवल ताँच का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस् कहा जाता था। बाद में लोगों प्रचलन में आया जिसे श्याम अयस् कहा जाने लगा। ऋषवेदिक काल में विजिज्ञ-व्यापार होता था और व्यापारियों को वर्णिक कहा जाता था। लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने मकानों में रहते थे। ऋषवेदकालीन संस्कृति *लुङ्-हुङ्लुङ्दृष्ट थी। नगरीकरण ऋषवेद काल की विशेषता नहीं है। ऋषवेदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। वैदिक कालीन सूत्र साहित्य 1. कल्पसूत्र : विधि एवं नियमों का प्रतिपादन। 2. श्रौतसूत्र : यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि-विधानों की व्याख्या। 3. शुल्वसूत्र : यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम, जिसमें भारतीय ज्यामिति अपने प्रारंभिक रूप दिखाई देती है। 4. धर्मसूत्र : सामाजिक-धार्मिक कानून तथा आचार संहिता। 5. ग्रह सूत्र : मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य। वैदिक काल में आर्थिक जीवन ऋषवेदिक काल में आर्थिक जन-जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था। 1. गायें, भेड़-बकरियाँ, गधे, कुत्ते, भैंसे आदि उपयोगी पालतू पशु थे। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था और रथ खींचने में घोड़े उपयोग में लाये जाते थे। कृषि में खाद का भी प्रयोग किया जाता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। ऋषवेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य की होती थी। ऋषवेदिक काल में बैलों का उपयोग किया जाता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। ऋषवेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य की होती थी। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बढ़ीगीरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऋषवेदिक काल में धातु के तोर पर केवल ताँच का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस् कहा जाता था। बाद में लोगों प्रचलन में आया जिसे श्याम अयस् कहा जाने लगा। ऋषवेदिक काल में विजिज्ञ-व्यापार होता था और व्यापारियों के जन्म को भी होतोत्साहित किया जाता था। लेन-देन में वस्तु-विनियम

वैदिक काल में सामाजिक स्थिति

ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभक्त था । ये वर्ण थे : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । ब्राह्मण का मुख्य कार्य पूजा-पाठ यज्ञ अध्ययन-अध्यापन तथा दान लेना इत्यादि था। क्षत्रिय मुख्य रूप से योद्धा वर्ग था जो प्रशासन का कार्य देखते थे। वैश्य कृषि-व्यापार- बाणिज्य इत्यादि से संबंधित कार्य करते थे और शूद्र सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। समाज का यह वर्गीकरण अनुवांशिक न होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था । उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्णांश्रम व्यवस्था अपने सबसे मजबूत स्वरूप में आ गई। इसी काल में गोत्र की अवधारणा भी उजागर हुई। एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। मौलिक रूप से गोत्रों की संख्या 7 बताई गई : कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, एवं विश्वामित्र। अगस्त को आठवां गोत्र माना जाता है। इस युग की दूसरी विशेषता थी “आश्रम व्यवस्था”। आश्रम व्यवस्था के चार चरण बताए गए हैं : पहला, ब्रह्मचर्य - जन्म से 25 वर्ष तक। यह विद्या- अर्जन एवं बौद्धिक विकास से संबंधित था। दूसरा, गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। इस दौरान व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण परिवारिक- सामाजिक उत्तरदायित्व का वाहन किया जाता था। तीसरा, वानप्रस्थाश्रम - 50 से 75 वर्ष तक था। यह पारलैकिक जीवन से संबंधित था एवं अंतिम चरण सन्ध्यास था जो 75 वर्ष के उपरांत का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य संसार का त्याग कर एक सन्ध्यासी जीवन व्यतीत करता था। इस युग में लोगों द्वारा व्यवसाय चुने जाने का आधार अपनी योग्यता तथा पसंद था , न कि जन्म या अनुवांशिक रूप से, जैसे कि आगे चलकर अपनाए जाने लगे थे। एक ही परिवार के लोगों द्वारा इच्छानुसार अलग-अलग पेशा या व्यवसाय अपनाए जाने के उदाहरण मिलते हैं। जैसा कि ऋग्वेद के सूक्त 9. 112 में एक व्यक्ति कहता है : “मैं कवि/गायक हूँ; पेरे पिता वैद्य हूँ; मेरी माता चक्की चलाने वाली है; भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं; जैसे पशु (अपने बड़े में) रहते हैं।” इस युग में एक -विवाह प्रथा प्रचलित थी। बालविवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह के लिए वरण की स्वतंत्रता का भी कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है। विधवा स्त्री अपने मृतक पति के छोटे भाई (देवर) से विवाह कर सकती थी। पिता की संपत्ति साधारणतः उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती थी। किंतु यदि कोई पुरी अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होती थी तब यह संपत्ति उसे प्राप्त होती थी। ऋग्वेदिक काल में लिंगों की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, प्रायः 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पर्वा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। हालांकि लिंगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी। अपाला, लोपामुहा, विश्वावारा, घोषा आदि नारियों के मन्त्र द्रष्टा होकर ऋग्वेद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। अब सभा व समिति में उन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति से वंचित किया जाने लगा तथा कई बार तो पुत्रियों के जन्म को भी होत्साहित किया गया। लोग मिट्टी एवं धास फूम से बने मकानों में रहते थे। ऋग्वेदकालीन संस्कृति *लूँछ-हूँलुँछद्ध थी। नगरीकरण ऋग्वेद काल की विशेषता नहीं है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। वैदिक कालीन सूत्र साहित्य 1.कल्पसूत्र : विधि एवं नियमों का प्रतिपादन। 2.श्रौतसूत्र : यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि-विधानों की व्याख्या। 3.शुल्वसूत्र : यज्ञ स्थल तथा अन्नि वेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम,जिसमें भारतीय ज्यामिति अपने प्रारंभिक रूप दिखाई देती है। 4.धर्मसूत्र : सामाजिक-धार्मिक कानून तथा आचार संहिता। 5.ग्रह सूत्र : मनुष्य के लैकिक एवं पारतौकिक कर्तव्य। वैदिक काल में आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जन-जीवन भूष्यतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था। गायें, भेड़-बकरियाँ, गधे, कुत्ते, भैंसें आदि उपयोगी पालतू पशु थे। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था और रथ खींचने में घोड़े उपयोग में लाये जाते थे। कृषि में खाद का भी प्रयोग किया जाता था,ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी। खाद्यान्त्रों को सामूहिक रूप से घव और धान्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य में दस प्रकार के अन्न उगाए जाने का उल्लेख है। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बहुर्गीरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है की ऋग्वैदिक काल में धातु के तौर पर केवल ताँबे का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस् कहा जाता था। बाद में लोहा प्रचलन में आया जिसे श्याम अयस् कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य-व्यापार होता था और व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। लेन-देन में वस्तु-विनियम (लेखक - संजय गोस्वामी/ईएमएस)

की प्रणाली प्रचलित थी। साहूकारी, यानी व्याज पर धन उधार देने की प्रथा भी प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि ने पशुपालन की जगह मुख्य पेशे का स्थान ग्रहण कर लिया। वैदिक काल में धर्म व दर्शन ऋग्वैदिक काल में साधारणतया प्राकृतिक शक्तियों की ही विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में मन्दिर अथवा मूर्तिपूजा का उल्लेख नहीं है। तथापि कर्मकाण्ड का विशेष महत्व था। देवतों की आराधना मुख्यतः स्तुतिपाठ एवं यज्ञाहुति से की जाती थी। वैदिक देवताओं को स्थान के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1.पृथ्वी - स्थानीय देवगण, 2.अंतरिक्ष-स्थानीय देवगण और 3.वायु -स्थानीय देवगण। पृथ्वी, अग्नि, सौम, बृहस्पति और नदियाँ प्रथम श्रेणी में आती हैं; इंद्र, अपाम्-नपात, रुद्र, वायु-वात, पर्जन्य और आपः द्वितीय श्रेणी के देवगण हैं; और वरुण, मित्र, सूर्य, सारित्री, पूषन्, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन् तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र और वरुण को इन देवगणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वे बाकी सबसे बड़े माने गए हैं। इंद्र का स्थान सर्वी देवताओं में सर्वोच्च था। मुख्यता यह युद्ध के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के 250 सूत्र अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। अग्नि और सौम भी लोकप्रिय देवता थे। सौम वनस्पति के देवता थे जबकि अग्नि को पृथ्वी और स्वर्य के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर दिया जाता था। वे मनुष्य द्वारा दिए गये चढ़ावों को देवता तक ले जाने का कार्य करते थे। इसके अलावा, अग्नि ही ऐसे एकमात्र देवता थे जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में विद्यमान थे। देवताओं की उत्पत्ति तो मानी गई है किंतु अंत नहीं। अर्थात् वे अमर माने गये थे। (लेखक - संजय गोस्वामी/ईएमएस)

पेरिस (ईएमएस)। भारत के धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भक्त की जोड़ी पेरिस ओलंपिक खेलों की मिश्रित तीरंदाजी इवेंट के सेमीफाइनल में पहुँच गयी है। धीरज और अंकिता ने अंतिम 8 में स्पेन को 37-36 से हराया। धीरज और अंकिता के पास अब पदक जीतने का अच्छा अवसर है। अब सेमीफाइनल में इनका सामना दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होगा।

भारतीय जोड़ी ने पहले सेट को 37-36 से जीतने के बाद दूसरा सेट 38-38 से बराबर किया। वहीं तीसरे सेट में अंकिता के दोनों निशाने 10 अंक पर लगे जिससे भारत ने 12वीं बरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 38-37 से मैच जीत लिया। इस तरह भारत ने क्वार्टर फाइनल का सफर तय किया। इस जोड़ी ने पहला सेट 38-37 से अपने नाम किया। भारत ने ग्रीष्मी व्यापार फाइनल में मलेशिया को हराकर अंतिम 8 में एंट्री मारी थी!

पेरिस ओलंपिक : भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ग्रुप मैच में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिख ओलंपिक 1972 में हराया था।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीमें पेरिस ओलंपिक के ग्रुप बी में हैं। वहीं बेल्जियम इस ग्रुप में अपने चारों मैच जीतकर पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 9 अंक के साथ दूसरे और भारत 7 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। वहीं अर्जेन्टीना के भी 7 अंक हैं। लेकिन वह गोल अंतर में पीछे होने के चलते चौथे नंबर पर है। आयरलैंड और न्यूजीलैंड अपने चारों मैच हारा हैं और खिताबी रेस से बाहर हैं।

भारत ने इस मैच में तेज शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ने 10 वें मिनट में जोरदार अटैक किया। उसे पेनाल्टी कॉर्नर भी मिला लेकिन भारत ने गोल नहीं होने दिया।

भारत ने पहले क्वार्टर के 12वें मिनट में गोल किया। यह मैच का पहला गोल अधिकार ने ललित के शॉट पर रिबाउंड पर किया। भारत ने इसके साथ ही 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत ने 13वें मिनट में एक गोल और किया। ये गोल पेनाल्टी कॉर्नर पर कपान हरमनप्रीत मिंह ने किया। पहले क्वार्टर का खेल खत्म होने पर भारत 2-0 से आगे रहा। यह पेरिस ओलंपिक में पहला मौका है, जब भारत ने किसी टीम के खिलाफ पहले क्वार्टर में दो गोल किये हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 19वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया। हालांकि, वह गोल नहीं कर सका।

ऑस्ट्रेलिया ने 25वें मिनट में गोल कर दिया है। उसने इस गोल के साथ ही भारत की बढ़त कम कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह गोल थॉमस क्रेग ने किया। मैच का दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ तो भारत 2-1 से आगे रहा।

सावन मास का महत्व एवं शिव की शरण

तो अब अदालत को भी पलटने का हक

अब सवाल यह है कि क्या नेताओं बदलने में पूरे बास साल का समय अचल / इएमएस Jagritidaur.com, Bangalore है। वह अपने जमाने के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल थे।

